भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4809

उत्तर देने की तारीख 21.08.2025

करौली और धौलपुर जिलों में पांचवीं अनुसूची का कार्यान्वयन

4809. श्री भजन लाल जाटव:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों के ग्रामीण और जनजातीय समुदायों ने जल, जंगल और जमीन पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इन जिलों को संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है और इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है या कोई समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा करने में क्या अड़चनें आ रही हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पाँचवीं अनुसूची के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, "अनुसूचित क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। किसी राज्य के संबंध में "अनुसूचित क्षेत्रों" का निर्धारण (विनिर्देशन) उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि करौली और धौलपुर जिलों को संविधान की पाँचवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई औपचारिक माँग या प्रस्ताव नहीं है और इस संबंध में इन जिलों में किए गए सर्वेक्षण और गठित समिति के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

******